[illegible] पत्र धारा 136 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.2021 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत छोटी देवी पत्नी श्री शिवकुमार जाति बैष्णव निवासी खेड़ली हॉल निवासी बामनवास पट्टी खुर्द तह0 बामनवास की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 3.8.2021 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)	
-8-2021 वकील वादी व लैण्डहोल्डर के प्रतिनिधि उप0। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हो चुकी है। वास्ते बहस पत्रावली दि0 10-8-2021 को पेश हो।	
10-8-2021 वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर उप0। बहस सुनी गई। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र तहत दफा 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:18:51 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32/2021	12.7.2021	10.8.2020

छोटी देवी पुत्री रामदयाल पत्नि शिवकुमार जाति वैष्णव निवासी खेडली हाल निवासी बामनवास पट्टीखुर्द तहसील बामनवास —प्रार्थिया

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थिया की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खाता सं0 48 की भूमि ख0नं0 98 रकबा 0.74 हैक्टर ग्राम बाढ़ खुर्द तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी प्रार्थिया के नाम हिस्सा 1/12 दर्ज है परन्तु प्रार्थिया का नाम उक्त खातेदारी में टाईपिंग की गलती व लिपीकीय भूल के कारण गलत रूप से कमला पुत्री रामदयाल दर्ज कर दिया गया हैं, जबकि प्रार्थिया का अन्य सभी सरकारी रिकार्ड में सही नाम छोटी देवी पत्नि शिवकुमार पुत्री रामदयाल हैं जो सही हैं। इसलिये न्यायहित में प्रार्थिया का नाम रेवन्यु रिकार्ड जमाबन्दी हाल खाता सं0 48 में भी छोटीदेवी पुत्री रामदयाल दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थिया का रेवन्यु रिकार्ड में घर का बोलता नाम कमला दर्ज हो गया हैं, क्योंकि प्रार्थिया को घर में कमला नाम से भी बुलाया जाता हैं परन्तु प्रार्थिया का सरकारी रिकार्ड में सही नाम छोटी देवी पुत्री रामदयाल ही हैं। अर्थात छोटी देवी व कमला एक ही व्यक्ति हैं। छोटीदेवी ही कमला हैं इसलिये न्यायहित में प्रार्थिया का नाम रेवन्यु रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर कमला पुत्री रामदयाल के स्थान पर छोटी देवी पुत्री रामदयाल दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट मंगवाई गई जो प्राप्त होकर पत्रावली में स[illegible] अप्रार्थी की ओर से अलग से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थि[illegible] सरपंच ग्राम पंचायत खेडली का पत्र दिनांक 7.7.2021, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम बाढखुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:18:51 IST
Reason: Self-Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] प्रस्तुत किए है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थिया छोटी का प्रचलित नाम कमला था एवं ससुराल ग्राम खेडली मे इसका नाम छोटी रख दिया गया। जिसके सभी दस्तावेज छोटी पत्नी शिवकुमार जाति बैष्णव के नाम से बने हुए है। कमला व छोटी दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थिया सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थिया का नाम छोटी देवी पत्नी शिवकुमार है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया का पीहर मे प्रचलित नाम कमला था ससुराल मे उसका नाम छोटी रख दिया गया एवं समस्त दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम छोटी पत्नी शिवकुमार जाति वैष्णव दर्ज है। कमला व छोटी दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम बाढखुर्द की जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 48 में दर्ज प्रार्थिया का नाम कमला पुत्री रामदयाल के स्थान पर छोटीदेवी पुत्री रामदयाल पत्नी शिवकुमार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:18:51 IST
Reason: SelfAttested